



श्री
श्री
श्री

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकायी द्वारा श्री मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान
 की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकस्य करने हेतु
 टुकान में मावा, नमकीन मिठाई आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ-साथ मावा (Khyra) टुकान
 में पुराणीन बैग में लगभग 13 किलोग्राम मावा (Khyra) बास्ती आम जनता को विकस्य के
 टुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व
 निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं भिनावट की शंका होने पर श्री मोहम्मद अलीम
 पुत्र श्री अब्दुल रहमान को फाई नं. 5 ए में बास्ती नमूना कथ करने हेतु नोटिस देकर नोटिस
 की स्थिति प्राप्त की एवं दो प्रतियाँ में नियमानुसार भ्रकर एफ.बी.ओ. को सौंपित कर प्रतियाँ में
 विकला श्री मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक
 ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर राखीक किये। एक प्रति विकला को

बताया किये तथा मौके पर खाद्य अगुआ विकी प्रपत्र मानने पर खाद्य अगुआ प्रपत्र दिखाया।
 पर श्री मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होने
 मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा फूडने
 स्टैण्ड मालपुरा जिला टोक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित जिला, श्री
 मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान अपने प्रतिष्ठान संसर्ग न्यू जिलन सिष्ठान भण्डार टोक
 मालपुरा जिला टोक पर पड़ता। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकला की हैसियत से श्री
 दिनांक 18.10.2025 को समय 02:10 पी.एम. पर संसर्ग न्यू जिलन सिष्ठान भण्डार टोक स्टैण्ड
 संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकायी

दिनांक 17.11.24

:-निर्णय:-

- 2-अभियोगक अगुआ श्री सआदत अली नकवी रपु।
- 1-परीकार सरकार।

उपस्थित-

पुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 क्रम 2011

.....अगुआ

जिला टोक राज। पिनकोड-304502।

1-श्री मोहम्मद अलीम पुत्र श्री अब्दुल रहमान एफ.बी.ओ. संसर्ग न्यू जिलन सिष्ठान भण्डार टोक
 स्टैण्ड मालपुरा जिला टोक राज। निवासी जाट की हवेली गुलाही का मोहल्ला मालपुरा

बनाम

.....पुर्षी

टोक राज।

डी. मदन लाल गुजर, खाद्य सुरक्षा अधिकायी, टोक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,
 जीपीएमएस नं-14/2026

1/2026 प्र.पत्र/2026
 16.01.2026
 17.04.2026

मिथल नम्बर
 तारीख दायरा
 आर.ए.एस.
 रामरतन साँकरिया
 पीतापीन अधिकायी-

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकायी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोक



का निम्नलिखित शर्तों के साथ निरंतर किया जावे।

किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता। उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की सिगाट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए अपाणी की ओर से अभिग्राहक उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि प्रकल्प दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपाणी को जारिय नोटिस तलब किया गया। अतः आवेदक ने विकला के विकल्प आवश्यक कारवाही हेतु प्रकल्प न्यायालय में प्रस्तुत किया। 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया। मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कथ किया गया भावा (Khyoa) एफ.एफ.एस.ए. की द्वारा एल0एएस10/4598/एवट/2025/4499 दिनांक 14.11.2025 के अनुसार विकला से वास्तु डाला हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अहिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफ.एफ.एस.ए./2025/4575 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अहिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य विकला एवं स्वास्थ्य

की।

खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त भाग मय फार्म में 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर तैयार कीओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना आवेदक खाद्य सुरक्षा अहिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ में लिया तथा मौके पर फट्टे रिपोर्ट तैयार की।

आये जारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर जारों नमूना भागों को अपनै जावे गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पपर रिस्फ व सेपर दोनों पर को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकला एवं शुद्ध पपर रिस्फ नं. आई-4573 नीचे से ऊपर तक गलाई में गौद से विपकाकर प्रत्येक भाग कानन में लपेटकर गौद से अच्छी तरह विपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर प्रत्येक भाग पर गौद से अच्छी तरह विपकाया। जारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी आई-4573 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकला व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर भाग गौद से अच्छी तरह विपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक कानन में लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक तरह हिला मिलाकर शिशियों के हकन लगाकर अच्छी एयरटाइट किया प्रत्येक शिशियों को कुल्फी भरकर बगौर परिवहित 40 प्रतिशत वाली फामिलिन की 20-20 बूँद डालकर अच्छी प्लास्टिक की 4 साफ व सूखी चार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशियों में 250-250 ग्राम आवेदक खाद्य सुरक्षा अहिकारी ने खरीदशुदा भावा (Khyoa) 1 किलोग्राम को रखा है, जिसकी कीमत विकला को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

लगभग 13 किलोग्राम भावा (Khyoa) में से 1 किलोग्राम वास्तु नमूना जांच कथ किया जा

का
निम्नलिखित शर्तों के साथ

टोक-राज
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 न्याय प्रशासन अधिकारी एवं
 (समस्त जिला मजिस्ट्रेट)
 टोक



निर्णय आज दिनांक 17/11/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सजाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।
 गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे।
 कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकाारी, टोक को भिजावयी जावे। प्रकरण में लिये
 करार रसीद पेश करे। एक माह के अन्दर शारित जमा नही करवाने पर शारित बर्साती की
 जसिये खालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा
 15,000/- (अधरे पन्द्रह हजार रुपये) आरपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि
 लिखत प्रदाना पत्र प्रमाणित होने से अग्रणी पर पर कूल शारित रूपसे
 के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जमाने की श्रेणी में आता है। अतः अग्रणी के
 सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II)
 नमूना जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य
 किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अग्रणी के पास से लिया गया मावा (Khyra) का
 हुमने अभिमाषक अग्रणी एवं प्रेकार सरकार की बहस सृनी एवं बहस पर मनन
 अग्रणी को भाषी से भाषी जमाने से दण्डित किया जावे।
 कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जमाने की श्रेणी में आता है, इसलिये
 का विकय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-standard) स्तर का होना पाया गया है जो
 पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अग्रणी जिस मावा (Khyra)
 प्रेकार सरकार की बहस सृनी गई। प्रेकार सरकार ने बहस के दौरान प्रदाना